



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी
 OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION
 P.W.D BHATWARI (UTTARKASHI) PIN- 249135
 E.Mail-eepwdbhatwari@rediffmail.com



Fax No-01374-244321

पत्रांक १७/उ०का०/३ भ०आ०

दिनांक २५/०६/२०१९

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
 उत्तरकाशी वन प्रभाग,
 उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में बोंगा से कियाण गॉव तक मोटर मार्ग लं०-२.०० किमी० प्रस्ताव
 (FP/UK/Road/18147/2016).

सन्दर्भ :- कार्यालय वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती का पत्रांक-१९३१/१२-।
 मुनिकीरेती, दि० ०४/०६/२०१९।

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा वन, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, देहरादून द्वारा निम्न आपत्ति लगायी गई थी जिसका निराकरण इस कार्यालय के पत्रांक-११/उ०का०/३ भ०आ० दि० १७/०५/२०१९ द्वारा ऑफ लाईन व ऑन लाईन किया गया था। जिस को वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा सन्तोषजनक नहीं माना है। पुनः आपत्ति का निराकरण निम्नवत किया जा रहा है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
१-	प्रस्तावित मार्ग पूर्व में निर्मित मार्ग पर ही दर्शाया गया है, जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।	<p>विषयक मार्ग पूर्व निर्मित बौगा-भैलूड़ा मोटर मार्ग के किमी० २ से प्रस्तावित किया गया है जिसकी लम्बाई २.०० किमी० है। प्रस्तावित मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दि० २५/०२/२०१६ को ऑन लाईन कर दिया गया था। हस्तान्तरण प्रस्ताव पर जियोरिफेन्स मैप व डिजिटल मैप ऑफ-लाईन तथा ऑन-लाईन संलग्न/अप-लोड किये गये हैं। जिसमें स्पष्ट रूप से प्रस्तावित मार्ग का समरेखण कोडिनेट्स सहित संलग्न/अप-लोड पूर्व में ही किया गया है। जियोरिफेन्स मैप व डिजिटल मैप से स्पष्ट हो रहा है कि मार्ग पूर्व निर्मित बौगा-भैलूड़ा मोटर मार्ग से नव निर्मित किया जायेगा।</p> <p>प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा दि० २७/१०/२०१५ को किया गया है। SIR of DFO Uttarkashi is Uploaded.</p>

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :- **SIR of DFO Uttarkashi.**

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
 भटवाड़ी।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून।
- जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
- अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
- वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेति, ऋशिकेष।
- सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी।

अधिशासी अभियन्ता,
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
 भटवाड़ी।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from **Provincial Division P.W.D. Bhatwari (Uttarkashi)** for diversion under FCA -1980 of 1.494 Hec. forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of **bonga to Kiyangaho motor road km 2.0.** The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated **27.10.2015**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RE/PF/un-classed/Protect forest measuring **1.350 Hectare.**

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 part – 1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details of – **No**

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required – **No**

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been foun that the user agency has violated the forest (Conversation),Act,1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, para c of handbook of forest (Conversation), Act,1980 is attached.
- c) Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal – **The proposal recommended subject to fulfillment of condition like provisions compensatory off organization boundary pillars demarcation, development works and strict adherence to F.C. Act 1980.**

Place: - Kot Bangla Uttarkashi

Date: - 27-10-2015

Name
Designation

Divisional Forest Officer
Uttarkashi Forest Division
UTTARKASHI

N.B.

Xx out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 for Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.